आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–02/2023	
20.02.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह द्वारा मामले में कार्रवाई कर दी गई है। लेकिन कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। शिकायतकर्ता का भी कहना है कि अखबार के माध्यम से उन्हें इस आशय की जानकारी मिली है कि मध्याह्न भोजन जिस काल में नहीं दिया गया है, उस काल का क्षतिपूर्ति उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, गिरिडीह को निर्देश देता है कि दिनांक–25.01.2023 को दी गई क्षतिपूर्ति का प्रमाण प्रतिवेदन आयोग को भेजें एवं इसकी प्रति शिकायतकर्ता को भी भेज दिया जाय। आयोग इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त करता है। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx49	